

समस्त

असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्यकर अधिकारी,

जांच चौकी / सचल दल

वाणिज्यकर, 30प्र०।

Key word 1-30-Transit Pass

श्री ए०एस० राना प्रेसीडेन्ट आगरा फुटवियर मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स चैम्बर (रजि०) एम०-809, बाईपास रोड, आगरा के द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि दिनांक 8-11-2008 एवं 9-11-08 को कलाकृति ग्राउण्ड, वी०आई०पी० रोड, ताजमहल, फतेहाबाद रोड आगरा में लेदर फुटवियर कम्पोनेंट एवं टेक्नालाजी मेले का आयोजन "मीट ऐट आगरा" के नाम से किया जाएगा। इस मेला / प्रदर्शनी में देश / प्रदेश के बाहर से फुटवियर एवं इससे सम्बन्धित इन्डस्ट्रीज में प्रयोग होने वाली नयी मशीनों को प्रदर्शनी हेतु व्यवसायियों द्वारा आगरा लाया जाएगा एवं प्रदर्शनी के बाद इन्हें पुनः वापस ले जाया जाएगा। प्रांत में इनकी कोई बिक्री नहीं की जायेगी।

प्रत्यावेदन में मेले / प्रदर्शनी हेतु लाये जाने वाले उपकरणों तथा प्रदर्शनी के बाद इन्हें वापस ले जाने की व्यवस्था निर्धारित करने अनुरोध किया गया है।

सर्वश्री आगरा फुटवियर मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स चैम्बर (रजि०) एम०-809, बाईपास रोड, आगरा के प्रत्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस मेले / प्रदर्शनी में जो व्यवसायी भाग लेने के उद्देश्य से अपना सामान लेकर प्रांत बाहर से आये तो इस प्रदर्शनी के लिए लाने वाले माल के संबंध में प्रेसीडेन्ट सर्वश्री आगरा फुटवियर मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स चैम्बर (रजि०) एम०-809, बाईपास रोड, आगरा के हस्ताक्षर से जारी / प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा अधिवेशन/प्रदर्शनी के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाये। चूंकि प्रकरण में प्रवेश जांच चौकी और निर्गमन जांच चौकी एक ही रहेगी अतः पारगमन प्राधिकार पत्र जारी और खारिज करते समय लाये जा रहे एवं वापस ले जाये जा रहे माल के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जांच चौकी के अधिकारियों की रहेगी।-

इस मेले / प्रदर्शनी में प्रदर्शन हेतु मशीनरी भी लायी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस० सी०सी० -749 के मामले में सिविल अपील सं० 4164-66/96 के निर्णय दि० 02-05-01 में यह कहा गया है कि यदि मशीन या उपकरण को किसी प्रदर्शनी में चलाकर या प्रयोग कर उसका उपयोग बताया जाए तो वह निश्चित ही उपयोग की श्रेणी में आएगा। प्रवेश कर की देयता उपयोग / प्रयोग / बिक्री पर है। अतः इस प्रकरण में यदि प्रवेश कर की देयता बनती है तो जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, आगरा जिस कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में उक्त प्रदर्शनी स्थल आता है, उस कर निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करायेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस० सी०सी० -749 के मामले में सिविल अपील सं० 4164-66/96 के निर्णय दि० 02-05-01 के अनुरूप यदि प्रवेश कर देय है तो प्राप्त होने वाला प्रवेशकर अधिवेशन/प्रदर्शनी अवधि में ही जमा हो जायें। इस संबंध में जांच चौकियों से कांफ्रेंस में भाग लेने वाले प्रदर्शन-कर्ताओं को जारी किये गये मूल पारगमन प्राधिकार पत्रों के आधार पर कांफ्रेंस स्थल पर आयी मशीनरी के संबंध में तीन प्रतियों में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि " जांच चौकी -----से जारी पारगमन प्राधिकार पत्र संख्या-----दि०-----के क्रमांक----- पर अंकित

प्रदर्शन के लिए लाई गयी मशीन का उपयोग काफ़ेस में किया गया है एवं इस पर देय प्रवेश कर रु0 -----
चालान संख्या / बैंक ड्राफ्ट संख्या-----दि0----- से जमा किया गया है / पारगमन प्राधिकारपत्र के
क्रमांक----- पर अंकित मशीन पर प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। अतः प्रवेश कर जमा नहीं कराया गया
है। " इस प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ संबंधित व्यापारी को दी जायेगी, जिसमें से एक प्रति संबंधित जाँच चौकी पर
बहती खारिज करने के समय प्राप्त की जायेगी। प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी करने वाले अधिकारी अपने
अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे।

पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर अथवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर
नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु 15 दिन
का समय दिया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसायियों को जिस वाणिज्य कर जांच चौकी से
पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे उसी वाणिज्य कर जांच चौकी को निर्गमन जांच चौकी के रूप में उक्त
संबंध में कार्यवाही करना होगा। प्रदर्शनी हेतु लाये गये माल की बिक्री नहीं की जायेगी एवं समस्त माल
अधिवेशन/प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।


(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. श्री ए0एस0 राना प्रेसीडेन्ट आगरा फुटवियर मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट चैम्बर (रजि0) एम0-809, बाईपास
रोड, आगरा को इस अनुरोध के साथ की कृपया मेला / प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसायियों को संदर्भित
समाग्री लाने के विषय में प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे व्यवसायियों द्वारा जांच चौकियों पर
प्रस्तुत किये जाने पर प्रात के अन्दर लाये जाने वाले माल के संबंध में पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी
के समय खारिज किया जा सके।
3. जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर आगरा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 2-5-2001 की
प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि इस कार्य में खण्डाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की
भी ड्यूटी काफ़ेस स्थल पर लगाये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो वे अपने स्तर से कृपया स्थानीय
अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य सम्पादित करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि न तो प्रवेश कर का
अपवंचन हो और न ही काफ़ेस में भाग लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओं को कोई असुविधा हो।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
5. समस्त ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उ0प्र0।
6. समस्त डिप्टी कमिशनर (चेकपोस्ट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
7. समस्त असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
8. चेकपोस्ट अनुभाग को 05 प्रतियाँ अतिरिक्त।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)

ज्वाइंट कमिशनर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।